परिवाद मुकदमा सं0 575/ 2015
कमल सिह बनाम इतवारीलाल

30.07.2016

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी कमल सिह के परिवाद पत्र के अनुसार कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुत्री मिथलेश की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व वीरेन्द्र उर्फ फुन्नू पुत्र श्री इतवारीलाल के साथ तय हुयी थी। प्रार्थी ने टीका आदि की रश्म की और सारे त्यौहार तब से चलाता आ रहा है। करीब एक वर्ष पूर्व प्रार्थी ने वीरेन्द्र व उनके पिता इतवारीलाल को दो लाख रूपया मकान बनवाने हेतु दे दिया था। दोनों पक्षों की सहमति से दिनांक 13.06.2015 की शादी तय हुई। करीब 15 दिन पूर्व प्रार्थी के घर पर इतवारीलाल व दिनेश पुत्रगण छत्तर सिंह, वीरेन्द्र उर्फ फुन्नू, देवीराम व प्रदीप पुत्रगण इतवारीलाल, कटोरी देवी पत्नी इतवारीलाल, बबली पत्नी देवीराम उसके घर पर आये और अतिरिक्त दहेज में तीन लाख रूपया नकद व एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। प्रार्थी ने असमर्थता जताई तो बोले कि तुम्हारा कपडे का व्यापाहर है अतिरिकत दहेज में तीन लाख रूपया व एक मोटरसाइकिल यदि नहीं दोगे तो शादी नहीं करेगें। प्रार्थी ने अपना हिसाब कर सामान व पैसा वापिस करने को कहा जिस पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और वापिस करने से इन्कार कर दिया। यह घटना उसके ही गांव के विजय सिंह, ग्रीश, रामेश्वर, किरोडी, अमर सिह व रामसिह के सामने की है। वह थाने गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को द्वारा रजिस्ट्री प्रेषित किया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वंय को धारा 200 दं.प्र.सं. में एवं साक्षीगण पी.डब्लू.1 रामेश्वर, पी.डब्लू.2 करोडी सिंह को धारा 202 दं.प्र.सं. में परीक्षित कराया है।

परिवाद, समस्त प्रपत्रों एवं परिवादी के ब्यान एवं पी.डब्लू. 1 रामेश्वर, पी.डब्लू.2 करोडी सिंह के बयान का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया कि टीक इत्यादि की रश्म के पश्चात परिवादी द्वारा वीरेन्द्र व उनक पिता इतवारीलाल को दो लाख रूपये मकान बनवाने हेतु दे दिये और शादी दिनांक 13.06.15 के लिये तय हो गयी परंतु 15 दिन पूर्व विपक्षीगण परिवादी के पास आये तथा अतिरिक्त दहेज में तीन लाख रूपये व एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे तथा बोले कि यदि रूपये नहीं दोगे तो विवाह नहीं करेगें। यदि विवाह हेतु दहेज में तीन

लाख रूपये व मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग भी की जानी थी तो उस हेतु कोई कारण दर्शित नहीं होता कि विपक्षीगण एक ता सात उपस्थित आये और उनके द्वारा मांग की जाये। यह पूर्णतः अस्भाविक है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विपक्षीगण इतवारीलाल व वीरेन्द्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की कोई सहभागिता प्रश्नगत मामले में दर्शित होती है। परिवादी द्वारा जिन दो स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति का उल्लेख करते हुये उन्हें धारा 202 दं0प्र0सं0 के अधीन परीक्षित कराया है उनके प्रत्येक घटनाक्रम के समय उपस्थिति भी अस्वभाविक दर्शित होती। चूंकि वे परिवार के सदस्य हैं ऐसी दर्शित नहीं होता। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में मात्र विपक्षीगण इतवारीलाल व वीरेन्द्र सिह को विचारण हेतु आहूत किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **इतवारीलाल एवं वीरेन्द्र सिंह** को धारा **4 दहेज प्रति0 अधिनियम** के अंतर्गत परीक्षण हेतु आहूत किया जाता है। परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर सप्ताह पैरवी करना सुनिश्चित करें। बाद पैरवी अभियुक्तगण की हाजिरी हेतु दिनांक 31.08.2016 के लिये सम्मन जारी हों।

(नीतीश कुमार राय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जलेसर, एटा।